

8/12/14

उभयपक्ष को कोर्ट में पेश करने के लिए
आदेश जारी किया गया है।
कानून विभाग

Moghli Kaur

~~XXXXXXXXXX~~

वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने एवं
आदेश प्रति. द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत करने पर
न्यायपालिका के पत्रावली आज पेशी में ली गई।

वकील वादी / उभयपक्ष उष०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्रा / नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

